RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
जुलाई
22
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

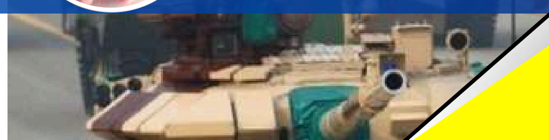

By Ankit Avasthi Sir

चीन की ब्रह्मपुत्र पर जलविद्युत परियोजना / China's hydropower project on Brahmaputra

संदर्भ:

चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल जलविद्युत परियोजना का निर्माण तिब्बत में भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट आधिकारिक रूप से शुरु कर दिया है। यह परियोजना रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश के लिए एक प्रमुख जलस्रोत है। चीन की इस गतिविधि ने क्षेत्रीय जल सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और भारत-चीन संबंधों पर चिंता बढ़ा दी है।

चीन की ब्रह्मपुत्र पर जलविद्युत परियोजना: एक रणनीतिक और पर्यावरणीय चुनौती

परियोजना का परिचय:

- यह परियोजना **विश्व की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** में से एक मानी जा रही है।
- **स्थान**: यारलुंग त्सांगपो ग्रैंड कैन्यन (ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत), जहां नदी भारत-चीन सीमा के पास यू-टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
- **संरचना**: 5 चरणों में बनी कैस्केड जलविद्युत स्टेशन।
- **निवेश**: लगभग **1.2 ट्रिलियन युआन** (167.8 अरब अमेरिकी डॉलर)।
- **ऊर्जा उत्पादन**: सालाना **300 अरब किलोवाट-घंटा** – लगभग **30 करोड़ लोगों** की जरूरतें पूरी करने लायक।
- **क्षेत्रीय संवेदनशीलता**: यह इलाका भूकंपीय और पारिस्थितिकीय रूप से अत्यधिक संवेदनशील है।

परियोजना के प्रभाव:

1. भू-राजनीतिक चिंताएँ:

- **भारत और बांग्लादेश** ब्रह्मपुत्र के **निचले प्रवाह क्षेत्र** में हैं, और इस नदी के **अविरल प्रवाह** पर कृषि, पेयजल और पारिस्थितिकी निर्भर है।
- **चिंता के बिंदु**:
  - जल प्रवाह में बाधा या अचानक जलराशि छोड़े जाने की आशंका।
  - **युद्धकालीन स्थिति में चीन द्वारा जल का रणनीतिक इस्तेमाल**।

2. पारिस्थितिकीय जोखिम:

- **जैव विविधता**, जलजीवों और दलदली क्षेत्रों के लिए खतरा।
  नदी की पारिस्थितिकी में असंतुलन।

3. भूकंपीय और संरचनात्मक जोखिम:

- ब्रह्मपुत्र बेसिन भूकंप-प्रवण क्षेत्र है (1950 का असम-तिब्बत भूकंप इसका प्रमाण)।
- इस क्षेत्र में विशाल बांध बनने से **बांध टूटने, बाढ़**, या **संरचनात्मक विफलता** जैसी आपदाओं की आशंका।

4. आपदा संवेदनशीलता:

- **हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs)** की संभावना बढ़ी – जैसा 2023 के सिक्किम बाढ़ में देखा गया।

5. क्षेत्रीय तनाव:

- जल संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर **चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश** के बीच तनाव गहरा सकता है।

भारत-चीन के बीच समन्वय व्यवस्था:

- **2013 में हस्ताक्षरित एक व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU)**: अंतरराष्ट्रीय नदियों पर सहयोग हेतु – यह **बिना समाप्ति तिथि के प्रभावी** है।
- ब्रह्मपुत्र और सतलज पर दो अलग-अलग MoUs, जिनमें ब्रह्मपुत्र MoU 2023 में समाप्त हो गया।
- **Expert Level Mechanism (ELM)**: 2006 से कार्यरत है, **जल आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए**।
- अब तक **कोई व्यापक संधि** नहीं है, जो जल प्रबंधन के नियम तय करे।
- चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश – **संयुक्त राष्ट्र के अंतराष्ट्रीय जलपथों के गैर-नौवहन उपयोग पर कन्वेंशन (1997)** के **पक्षकार नहीं हैं**।

गाजा में नरसंहार / Genocide in Gaza

संदर्भ:

गाजा में इज़राइल द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक समुदाय में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। लगातार बढ़ती हिंसा, नागरिकों की व्यापक हानि और मानवाधिकार उल्लंघनों के बीच यह मान्यता जोर पकड़ रही है कि इज़राइल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून में परिभाषित जनसंहार की सीमा तक पहुंच चुकी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा जारी बाध्यकारी अंतरिम आदेशों की अनदेखी और हमलों की निरंतरता ने नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की प्रामाणिकता और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

जनसंहार (Genocide) क्या है?

परिचय:

- **जनसंहार** को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक अपराध के रूप में पहली बार **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** द्वारा **1946 में मान्यता** दी गई थी।
- **1948 में**, जर्मनी में हुए **होलोकॉस्ट** जैसी भयावह घटनाओं के बाद, UNGA ने **"Genocide Convention" (जनसंहार रोकथाम और सजा कन्वेंशन)** को सर्वसम्मति से अपनाया।

जनसंहार की परिभाषा (Genocide Convention, 1948 के अनुसार): "ऐसे कार्य जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या उसके बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से किए जाते हैं," जनसंहार कहलाते हैं।

जनसंहार: अंतरराष्ट्रीय कानून में सर्वोच्च अपराध

- यह अंतरराष्ट्रीय कानून का **सबसे गंभीर अपराध** माना जाता है।
- इसका निषेध एक **'जस कोजेंस' (jus cogens)** या **'परमाधिक मानदंड'** है

'Jus Cogens' का अर्थ और प्रभाव:

- **जनसंहार पर प्रतिबंध पूर्ण और सार्वभौमिक है:**
    - कोई भी देश इसे अनदेखा, स्थगित या उल्लंघन नहीं कर सकता – न युद्ध में, न आपातकाल में और न आपसी सहमति से।
    - यदि कोई कानून या संधि जनसंहार को अनुमति देती है, तो वह स्वत: अमान्य (invalid) मानी जाती है।

Erga Omnes दायित्व (संपूर्ण विश्व समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व):

- **हर देश पर यह कानूनी दायित्व है** कि वह:
    - जनसंहार को रोके और दोषियों को सजा दे, भले ही वह संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो।
    - जहां भी जनसंहार हो, वहां हस्तक्षेप करना उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है।

जनसंहार कन्वेंशन (Genocide Convention): एक अंतरराष्ट्रीय संधि

जनसंहार की रोकथाम और सजा संबंधी कन्वेंशन (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता की रक्षा हेतु एक **महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि** के रूप में अस्तित्व में आई।

- यह कन्वेंशन **पहली कानूनी संधि** है जिसने जनसंहार को परिभाषित किया और उसे **अंतरराष्ट्रीय अपराध** के रूप में घोषित किया।

मुख्य तथ्य:

- **सर्वसम्मति से अंगीकरण**: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **1948 में** अपनाया गया।
- **प्रवेश में आया**: वर्ष **1951 में** लागू हुआ।
- **सदस्य देश**: वर्ष 2024 तक **153 देशों** ने इसे अंगीकार किया है।
- **भारत ने** इस कन्वेंशन की **1959 में पुष्टि** की।

जनसंहार की परिभाषा: जनसंहार को निम्न **पाँच कार्यों** के माध्यम से परिभाषित किया गया है, यदि इनका उद्देश्य **किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह** को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करना हो:

1. **समूह के सदस्यों की हत्या** करना
2. **गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति** पहुँचाना
3. **ऐसी जीवन स्थितियाँ थोपना**, जिससे शारीरिक विनाश हो
4. **प्रजनन रोकने के उपाय** थोपना
5. **बच्चों को बलपूर्वक किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करना**

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव:

- इस परिभाषा को **अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC)** सहित कई **अंतरराष्ट्रीय व हाइब्रिड न्यायाधिकरणों** ने अपनाया है।
- कई देशों ने इसे अपने **घरेलू कानूनों** में भी सम्मिलित किया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की बढ़ती अनुपस्थिति / India's growing absence at the United Nations

संदर्भ:

भारत के संयुक्त राष्ट्र (UN) में मतदान पैटर्न में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव देखा जा रहा है। जहां पहले भारत स्पष्ट पक्ष लेता था, अब वह कई विवादास्पद या संवेदनशील प्रस्तावों पर मतदान से अनुपस्थित (abstain) रहने का विकल्प चुन रहा है। वर्ष 2024-25 में भारत द्वारा अनुपस्थित रहने की दर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो यह दर्शाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच संतुलन साधने की रणनीति अपना रहा है।

भारत की हालिया उल्लेखनीय असंलग्नताएँ (Recent Notable Abstentions):

1. रूस-यूक्रेन संघर्ष (2022):

- भारत ने **संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद** दोनों में प्रस्तावों से **अलगाव (abstain)** किया।
- संकेत: भारत ने **संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता** के महत्व को दोहराया, लेकिन **रूस की सीधी निंदा** से बचा।

2. इसाइल-फिलिस्तीन मुद्दा:

- भारत ने बार-बार **इसाइल की निंदा** या **गाजा के पक्ष में प्रस्तावों** पर **मतदान से परहेज़** किया।
- तर्क: भारत ने कहा कि यह कदम **"संतुलित दृष्टिकोण"** और **"आतंकवाद जैसे मुद्दों की अनदेखी"** के विरोध में लिया गया।

3. म्यांमार:

- **2017 से** म्यांमार में **रोहिंग्या संकट** और **सैन्य तख्तापलट** से जुड़े कई प्रस्तावों पर भारत ने **असंलग्नता** अपनाई।

4. चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर प्रस्ताव:

- भारत ने **तिब्बत, शिनजियांग** और **हांगकांग** में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े **प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी**।
- कारण: **सीमावर्ती पड़ोसी से टकराव टालना**।

5. अन्य मुद्दे:

- **तालिबान और अफगानिस्तान:** भारत ने **तालिबान शासन** से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर वोटिंग में भाग नहीं लिया।
- **इस्लामोफोबिया:** UN में **इस्लामोफोबिया के विरुद्ध प्रस्ताव** पर भारत ने मतदान से दूरी बनाई।
- **हथियार प्रतिबंध (Arms Embargo):** कुछ हथियार प्रतिबंध प्रस्तावों पर भी भारत ने **असंलग्न रुख** अपनाया।

भारत की रणनीतिक असंलग्नता की नीति: प्रमुख कारण

1. ध्रुवीकृत वैश्विक व्यवस्था:

- **अमेरिका, चीन और रूस** जैसे प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक सहमति की संभावना को कम कर दिया है।
- कई देशों पर "किसी एक पक्ष को चुनने" का दबाव बढ़ा है।
- भारत एक **उभरती वैश्विक शक्ति** के रूप में **स्वायत्तता बनाए रखना** चाहता है, न कि कठोर गुटबंदियों में बंधना।

2. संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की जटिलता:

- आधुनिक UN प्रस्तावों में कई बार **विरोधाभासी प्रावधान** होते हैं – जिससे **स्पष्ट "हां" या "ना" मतदान** जोखिमपूर्ण हो सकता है।
- ऐसे में **असंलग्नता (Abstention)** भारत के लिए एक **व्यावहारिक कूटनीतिक उपकरण** बन गई है।

3. रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन:

- भारत के लिए असंलग्नता केवल निष्क्रियता नहीं, बल्कि **परिष्कृत कूटनीतिक संकेत** है।
- यह भारत को **विवादास्पद या मूल्य आधारित मुद्दों पर सूक्ष्म निर्णय** लेने की स्वतंत्रता देता है।
- यह नीति **शीत युद्ध काल की गुटीय राजनीति से दूरी** का संकेत भी देती है, भले ही इससे सहयोगियों में **कुछ अस्पष्टता** उत्पन्न हो।

4. मिडल पॉवर डिप्लोमेसी:

- भारत अब खुद को **"मध्य शक्ति" (Middle Power)** के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।
- असंलग्नता उसे:
  - **विरोधी खेमों के साथ संतुलन** बनाने,
  - **अपनी प्राथमिकताओं को उभारने** और
  - **राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने** की छूट देती है।

बित्रा द्वीप / Bitra Island

संदर्भ:
लक्षद्वीप प्रशासन ने द्वीपसमूह के एक बसे हुए द्वीप *बित्रा* को *रक्षा संबंधी उद्देश्यों* के लिए अधिग्रहित करने की संभावना पर विचार शुरू किया है। यह कदम रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बित्रा लक्षद्वीप का सबसे छोटा और कम आबादी वाला द्वीप है, जिसकी भौगोलिक स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज़ से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है।

बित्रा द्वीप (Bitra Island): एक परिचय

भौगोलिक विशेषताएँ:

- **बित्रा**, लक्षद्वीप द्वीपसमूह का **सबसे छोटा आबाद द्वीप** है।
- **लंबाई:** लगभग **0.57 किमी** | **चौड़ाई:** अधिकतम **0.28 किमी**
- यह द्वीप एक बड़े **कोरल रीफ रिंग** के **उत्तर-पूर्वी सिरे पर स्थित** है, जिससे इसे **प्राकृतिक सुरक्षा** मिलती है।
- द्वीप का सबसे प्रमुख आकर्षण इसका **लगून (lagoon)** है, जिसका क्षेत्रफल **45.61 वर्ग किमी** है — लक्षद्वीप में **सबसे बड़ा लगून**।

सांस्कृतिक विशेषता:

- यहाँ एक **मलिक मुल्ला नामक अरब संत** की मजार स्थित है, जिनकी समाधि यहीं मानी जाती है।
- यह **श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल** है, विशेषकर आस-पास के द्वीपों से आने वाले लोगों के लिए।

जलवायु:

- द्वीप पर **उष्णकटिबंधीय जलवायु** पाई जाती है।
- **तापमान**: अधिकतम – **32°C**, न्यूनतम – **28°C**

रणनीतिक महत्व (Strategic Importance):

- **अरब सागर** में इसकी स्थिति भारत के लिए **सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण** है, क्योंकि यह **अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनों के निकट** स्थित है।
- बित्रा भारत की **समुद्री निगरानी** और **सुरक्षा क्षमताओं** को मजबूत करने के लिए उपयुक्त स्थान है।
- इसे **लक्षद्वीप का तीसरा सैन्य ठिकाना** (Defence Establishment) बनाया जा रहा है।
    - पहले दो:
        - **INS द्वीपप्रकाश (INS Dweeprakshak)** – **कवरेत्ती** में स्थित।
        - **INS जटायू (INS Jatayu)** – **मिनिकॉय** द्वीप में स्थित।

स्थानीय विरोध क्यों हो रहा है?

- **स्थानीय आबादी का विस्थापन:** लक्षद्वीप के सांसद हमदुल्ला सईद ने इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे स्थानीय और स्वदेशी समुदाय को विस्थापित करने का प्रयास बताया है।
- **पूर्वजों की विरासत:** सांसद ने कहा, "यह भूमि हमारे पूर्वजों की दी हुई है और यह हमारी ही है।"
- **पहले से अधिग्रहित भूमि:** उन्होंने बताया कि रक्षा आवश्यकताओं के लिए पहले से ही कई द्वीपों पर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, ऐसे में बित्रा जैसे स्थायी रूप से बसे द्वीप को लक्ष्य बनाना अनुचित है।
- **बिना परामर्श की कार्रवाई:** सईद ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि यह कदम स्थानीय पंचायतों के अभाव में और स्थानीय निवासियों से कोई परामर्श किए बिना उठाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- **संसद और न्यायिक मार्ग का सहारा:** सांसद ने स्थानीय लोगों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही और इस मुद्दे को संसद में उठाने के साथ-साथ कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विरोध जताने की घोषणा की है।

आगे की प्रक्रिया:

- **भूमि अधिग्रहण कानून के तहत कार्रवाई:** यह अधिग्रहण "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत प्रस्तावित है।
- **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment):** अधिग्रहण से पहले प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा, जिसमें ग्राम सभाओं समेत सभी हितधारकों से परामर्श लिया जाएगा।
- **समयसीमा:** अधिग्रहण क्षेत्र का सर्वेक्षण 11 जुलाई की अधिसूचना के प्रकाशन से दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

बायोस्टीमुलेंट्स / Biostimulants

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र में एक अहम निर्देश जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या बायोस्टिमुलेंट्स की "जबरन टैगिंग" को तुरंत रोकने की अपील की है।

बायोस्टीमुलेंट्स (Biostimulants) क्या हैं?

परिभाषा (Fertiliser Control Order, 1985 के अनुसार):

- **बायोस्टीमुलेंट्स** वे **पदार्थ या सूक्ष्मजीव** (या दोनों का मिश्रण) हैं जिन्हें **पौधों, बीजों या राइज़ोस्फियर** (जड़ क्षेत्र) पर लगाने पर उनका प्राथमिक उद्देश्य **शारीरिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना** होता है।
- इनका उद्देश्य **पोषण ग्रहण, वृद्धि, उपज, पोषण दक्षता, फसल की गुणवत्ता और तनाव सहनशीलता** को बेहतर बनाना है।
- ये **कीटनाशक या पादप वृद्धि नियामक** नहीं होते, जो **Insecticide Act, 1968** के तहत विनियमित होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- जैविक या अकार्बनिक हो सकते हैं।
- **फसल सुधार के लिए सहायक**, लेकिन **कीटनाशक नहीं**।
- **बीज उपचार, मिट्टी में मिश्रण या पत्तियों पर छिड़काव** के रूप में उपयोग।

चिंताएँ (Concerns):

1. **जटिल संरचना और अस्पष्ट कार्यप्रणाली:**
   - कई बायोस्टीमुलेंट्स में **जटिल यौगिक या सूक्ष्मजीवों के मिश्रण** होते हैं।
   - इनके **सटीक कार्य-तंत्र (mechanism of action)** अक्सर स्पष्ट नहीं होते।
2. **परिस्थितियों के अनुसार भिन्न परिणाम: मिट्टी, जलवायु, फसल किस्म** आदि के अनुसार इनकी **प्रभावशीलता में उतार-चढ़ाव** देखा गया है।
3. **गैर-जिम्मेदार विपणन:**
   - कुछ कंपनियाँ **उर्वरकों या कीटनाशकों को बायोस्टीमुलेंट कहकर** प्रचारित करती हैं ताकि कठोर नियमों से बचा जा सके या 'सतत' दिखें।
   - इससे **किसानों और नीति निर्माताओं को भ्रम** हो सकता है और **विश्वसनीयता घटती है।**

CCEXEC88 सम्मेलन / CCEXEC88 Conference

संदर्भ:

विश्व खाद्य मानकों के निर्धारण में भारत की भूमिका को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली है। कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (Codex Alimentarius Commission) की कार्यकारी समिति के 88वें सत्र (CCEXEC 88) के दौरान, जो रोम में आयोजित हुआ, भारत के योगदान को विशेष रूप से महत्वपूर्ण और सक्रिय बताया गया। यह मान्यता भारत की खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और वैश्विक खाद्य व्यापार में विश्वसनीय भागीदार के रूप में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

CCEXEC88 सम्मेलन की मुख्य बातें और भारत की भूमिका

1. बाजरा मानक निर्माण में नेतृत्व:

- भारत ने **Whole Millet Grains (पूर्ण बाजरा अनाज)** के लिए **समूह मानक (group standard)** के निर्माण में **अध्यक्षता (Chair)** की।
- **सह-अध्यक्ष देश:** माली, नाइजीरिया और सेनेगल।
- **सम्मेलन समिति ने भारत के नेतृत्व की सराहना की।**
- यह **बाजरा मानक CAC48 (Codex Alimentarius Commission)** में **अंतिम मंज़ूरी के लिए प्रस्तावित** है।

2. कोडेक्स रणनीतिक योजना (2026–2031):

- भारत ने **Codex Strategic Plan 2026–2031** पर चर्चा में **सक्रिय योगदान** दिया।
- भारत ने **SMART सिद्धांतों** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) पर आधारित **आउटकम आधारित सूचकांक (KPIs)** की वकालत की।
- इन **KPIs को CAC48 में अनुमोदन के लिए अंतिम रूप** दिया गया।

3. क्षमतावर्धन (Capacity Building):

- भारत ने **भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिमोर-लेस्ते** जैसे पड़ोसी देशों में **क्षमतावर्धन कार्यक्रमों** की जानकारी दी।
- **FAO ने इन प्रयासों की सराहना की।**

4. Codex Trust Fund (CTF) का प्रोत्साहन:

- भारत ने **कम सक्रिय सदस्य देशों** से आग्रह किया कि वे **CTF का उपयोग करें**:
  - **Mentorship (मार्गदर्शन)**
  - **Twinning Programmes (साझेदारी सहयोग)** के लिए।

भारत के उपराष्ट्रपति / Vice-President of India

संदर्भ:

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने को अपने पद से स्वास्थ्य कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि यह निर्णय डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप लिया गया है और संविधान के **अनुच्छेद 67(ए)** के तहत प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण कार्य संबंधों के लिए धन्यवाद देते हुए अपने कार्यकाल को एक सुखद अनुभव बताया।

भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President of India): एक संक्षिप्त विवरण

संवैधानिक स्थिति:

- **राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद।**
- **प्रोटोकॉल में द्वितीय स्थान**, और राष्ट्रपति के **अनुपस्थित रहने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति** बनने की पहली पात्रता।
- **राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman of Rajya Sabha)** – इस रूप में उनके कार्य व अधिकार लोकसभा अध्यक्ष जैसे होते हैं।

चुनाव प्रक्रिया:

- **निर्वाचन मंडल (Electoral College):** संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के सदस्य।
- **चुनाव प्रणाली: एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote)** के माध्यम से **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)**।
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष | **पुनर्निर्वाचन योग्य (Re-eligible)**।

पदत्याग व कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका:

- उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं।
- यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या असमर्थ हों, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
- यदि राष्ट्रपति का निधन, इस्तीफा या पदच्युत होना होता है, तो 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना आवश्यक है।
- इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन नहीं करते।

पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria):

- भारत का नागरिक होना आवश्यक।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष।
- राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की पात्रता होनी चाहिए।
- केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद **धारण नहीं करना चाहिए।**

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय / ICC

संदर्भ:

हाल ही में यूक्रेन को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम संविधि का 125वां राज्य पक्षकार (State Party) के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कदम वैश्विक न्याय प्रणाली में यूक्रेन की भागीदारी को और मजबूत करता है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):

- **परिचय:** ICC दुनिया की पहली स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत है, जो जनसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है।
- **स्थापना:** रोम संविधि के तहत 1998 में स्थापित, यह अदालत 1 जुलाई 2002 से प्रभावी हुई।
- **सदस्यता:** जुलाई 2025 तक 125 राज्य पक्षकार (State Parties)।
    - 123वां सदस्य: फिलिस्तीन (2015)
    - 124वां सदस्य: मलेशिया (2019)
    - 125वां सदस्य: यूक्रेन (2025)
    - भारत, अमेरिका, रूस, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।
- **कार्य भाषा:** अंग्रेज़ी और फ्रेंच (प्रक्रियाओं की दैनिक भाषा)
- **संरचना:** राष्ट्रपति मंडल, न्यायपीठ, अभियोजक कार्यालय, रजिस्ट्री, पीड़ितों के लिए न्यास कोष, नजरबंदी केंद्र और सदस्य देशों की अधिवेशन सभा (ASP)।
- **अधिकार क्षेत्र:**
    - केवल गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर कार्रवाई
    - सदस्य देश की सीमा में या उसके नागरिकों द्वारा किए गए अपराध
    - UN सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित मामलों में भी अधिकार
    - पूरक सिद्धांत (Complementarity): तभी हस्तक्षेप जब राष्ट्रीय न्याय प्रणाली असमर्थ या अनिच्छुक हो।

ICC वैश्विक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

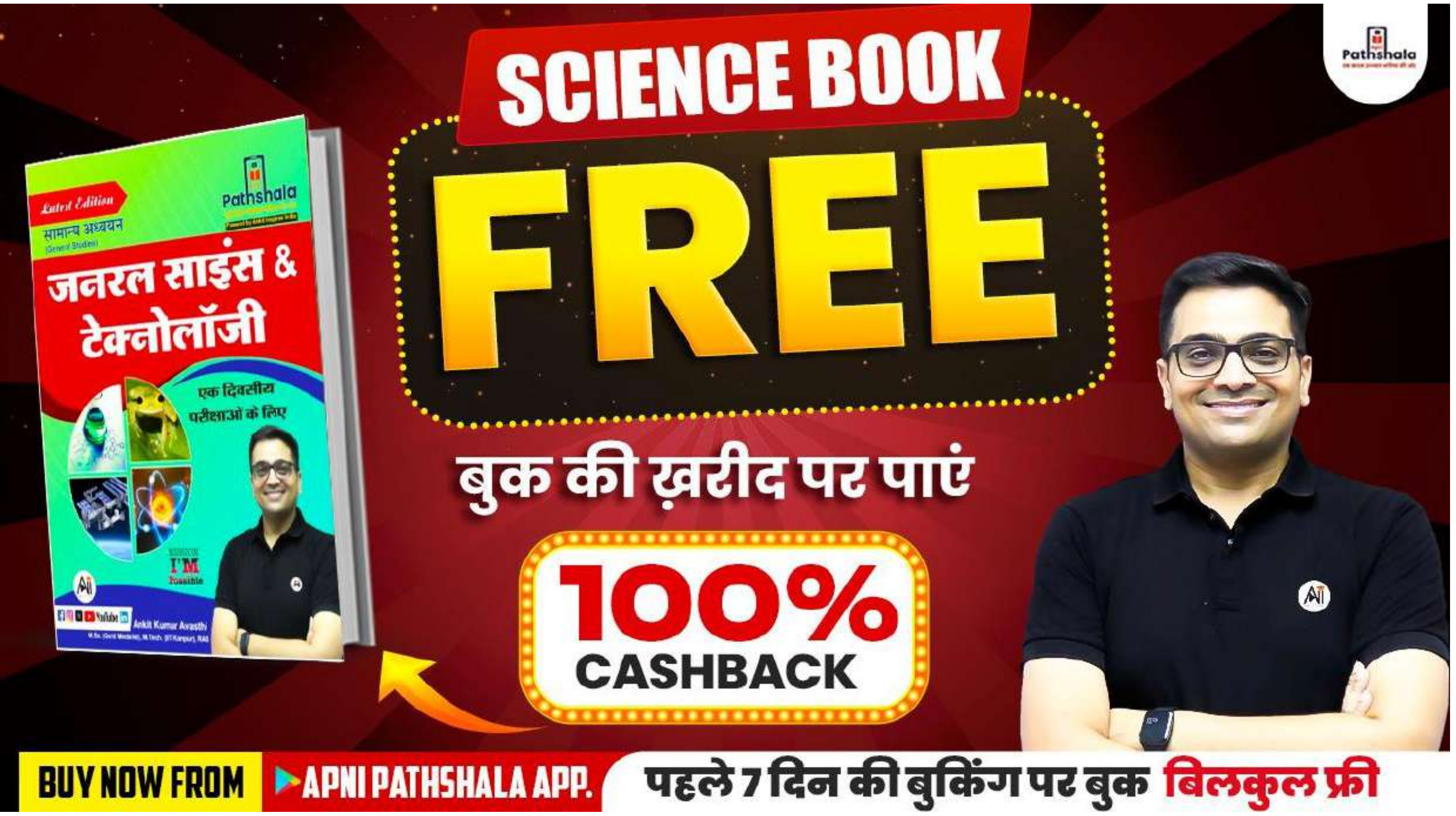

SCIENCE BOOK
FREE
बुक की ख़रीद पर पाएं
100%
CASHBACK
Latest Edition
सामान्य अध्ययन
(General Studies)
Pathshala
जनरल साइंस &
टेक्नोलॉजी
एक दिवसीय
परीक्षाओं के लिए
I'M
Possible
Ankit Kumar Avasthi
Pathshala
BUY NOW FROM
APNI PATHSHALA APP.
पहले 7 दिन की बुकिंग पर बुक बिलकुल फ्री

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
ECONOMY
POLITY
HISTORY
GEOGRPHY
1500X4
₹ 6000/-
₹4500/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

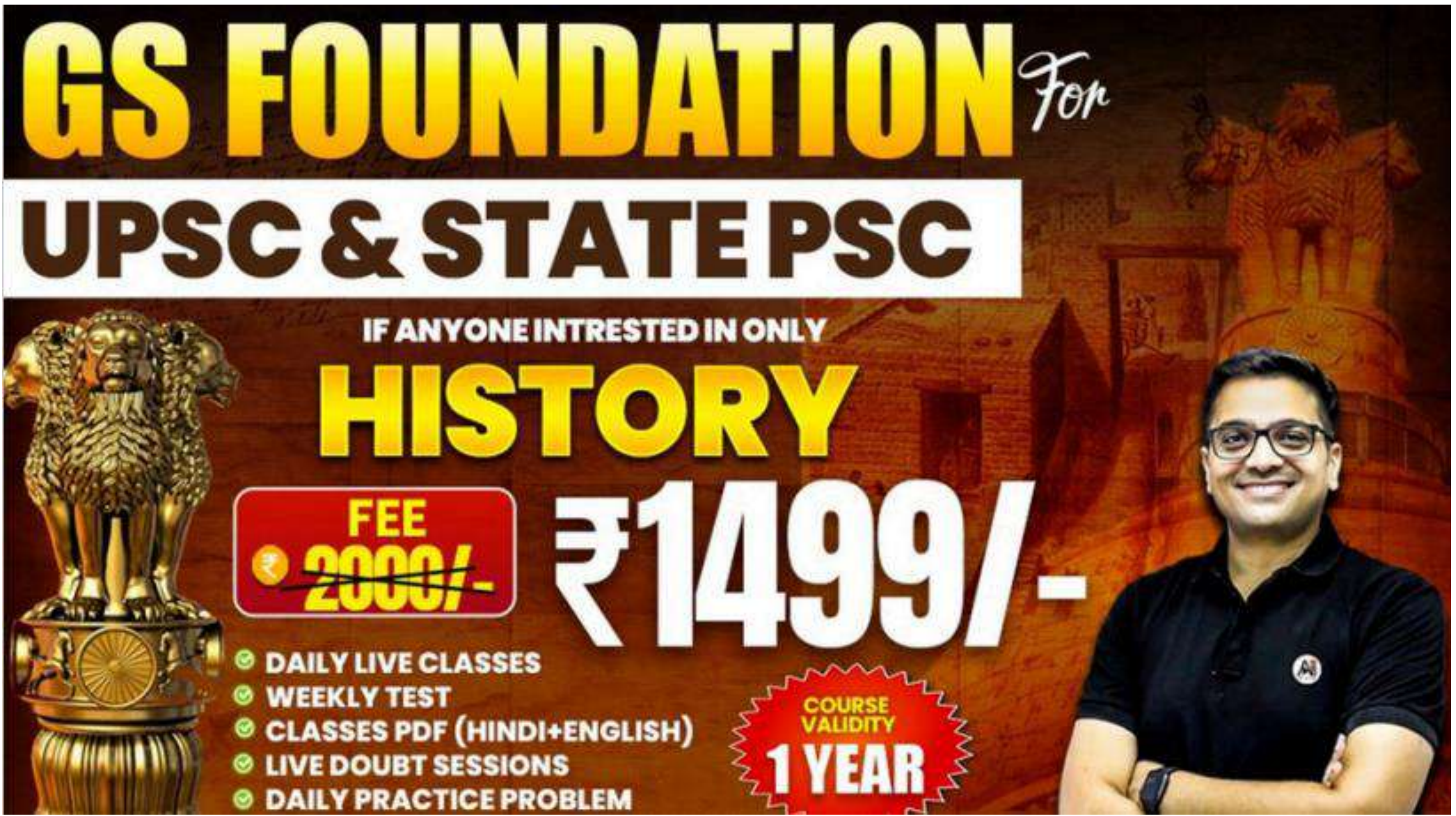
GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
HISTORY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
ECONOMY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

जानिए
भारतीय संविधान
CONSTITUTION
OF
INDIA
मात्र
1499/-Year
Enroll Now !
1 year
validity

GS FOUNDATION
Hand Written Notes
Pathshala
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
BEST OFFER
1999Rs
4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Bilingual
By Ankit Avasthi Sir

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण
RNA : Real News Analysis
MONTHLY CURRENT AFFAIRS
MONTH
जनवरी, 2025
By Ankit Avasthi Sir
MONTHLY MAGAZINE
FREE!
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Billingual
ANKIT AVASTHI SIR

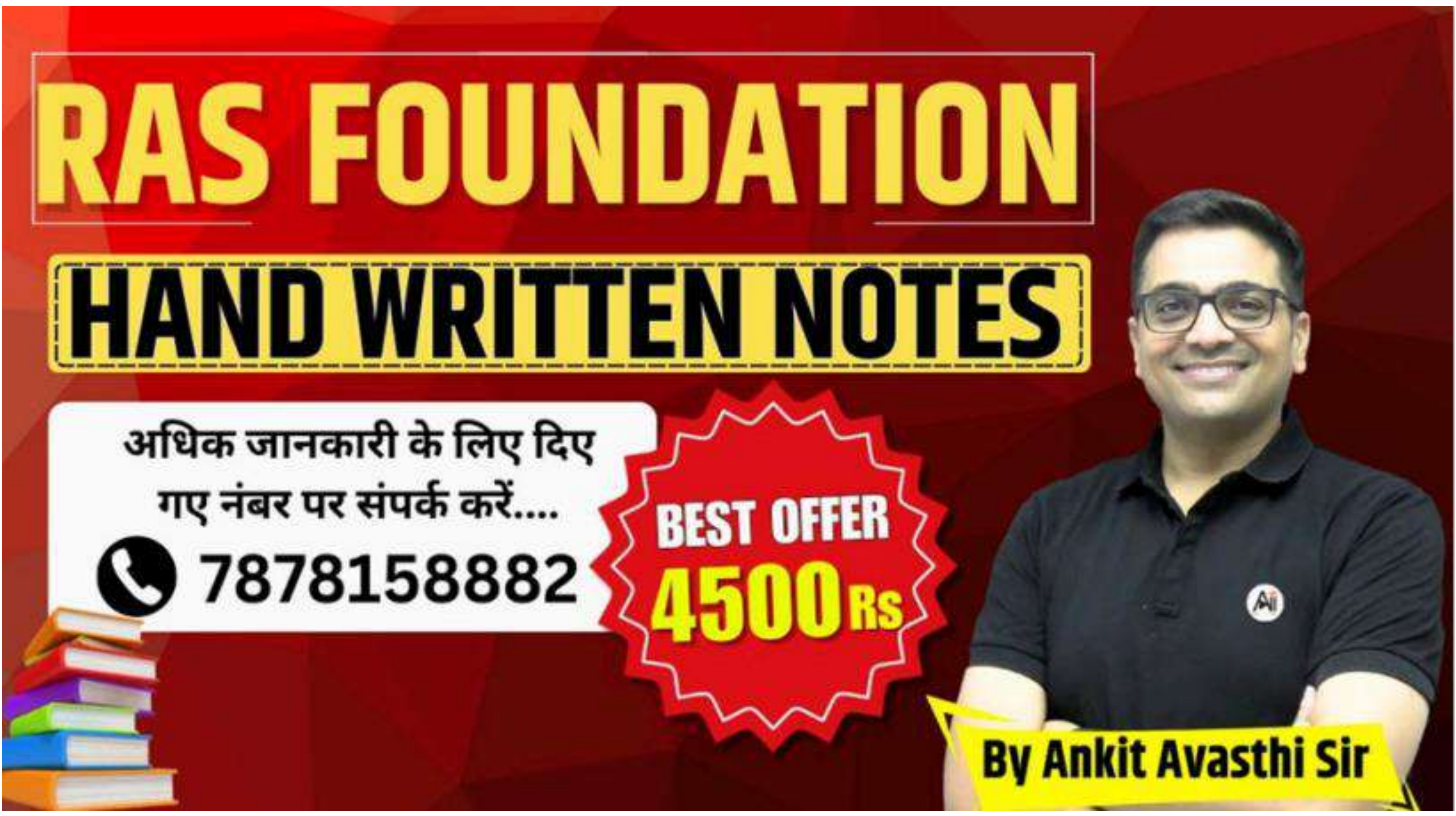
RAS FOUNDATION
HAND WRITTEN NOTES
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
BEST OFFER
4500 Rs
By Ankit Avasthi Sir

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
BBK
COUPON CODE
ANKIT500
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुआत

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
COUPON CODE
ANKIT500
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

नई संस्करण
Pathshala
भूगोल-I
भूगोल-II
इतिहास-I
इतिहास-II
अर्थव्यवस्था
भारतीय राजव्यवस्था
जनरल साइंस & टेक्नोलॉजी
जी.ए फाउंडेशन
हैंडरिटन नोट्स
लॉन्च हो चुके हैं..
अभी खरीदें -
1999/-
(नियम और शर्तें लागू)
और पाएं साइंस की बुक फ्री (7 दिन तक)

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: